15/6/18

पत्रावली आज न्यायालय अपर कलक्टर कैम्प डीडवाना में पेश हुई। मामले आज में अपील की जानकारी नहीं मिली रेकर्ड पर उपलब्ध किया। श्री डी.आर. एड. वाद न्यायालय में नियमानुसार श्री प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में साबित होती है। अतः दिनांक 12/8/2015 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को इस वाद तक अस्थाई (स्थाई) किया जाता है। पत्रावली इस वाद के साथ संलग्न हो। पत्रावली फैसल शुमार रजिस्टर दायिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner